

22 PS/GO/0
Date 13.1.20



राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग

क्रमांक प. 1(5)शिक्षा/ग्रुप-3/2019

जयपुर, दिनांक:- 8 JAN 2020

:- आदेश :-

राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) के निम्नांकित अधिकारियों को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर लेने पर, उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या-5 में अंकित दिनांक को अपरान्ह से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री/डॉ.)	पदनाम	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	2	3	4	5
1.	रमेश कुमार स्वामी	उपाचार्य	02-01-1960	31-01-2020
2.	पुष्पा चौहान	उपाचार्य	15-03-1960	31-03-2020
3.	इन्दुबाला बापना	उपाचार्य	31-03-1960	31-03-2020
4.	नीलाभ पंडित	उपाचार्य	16-04-1960	30-04-2020
5.	विष्णु कुमार	उपाचार्य	20-06-1960	30-06-2020
6.	शंकर लाल वर्मा	उपाचार्य	01-07-1960	30-06-2020
7.	रामनाथ मीना	उपाचार्य	04-07-1960	31-07-2020
8.	अरुण कुमार रघुवंशी	उपाचार्य	05-07-1960	31-07-2020
9.	राधेश्याम बांगड़	उपाचार्य	28-07-1960	31-07-2020
10.	जय कुमार जैन	उपाचार्य	05-08-1960	31-08-2020
11.	सतीश कौशिक	उपाचार्य	10-08-1960	31-08-2020
12.	शांतिलाल श्रीमाल	उपाचार्य	07-10-1960	31-10-2020
13.	नरेन्द्र कुमार शर्मा	उपाचार्य	20-11-1960	30-11-2020

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर तालिका में अंकित अधिकारियों के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

यह स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दिये गये किसी प्रकार के ऋण शेष नहीं होने एवं अधिकारी के राजकीय आवास में अधिवासित होने की स्थिति में, उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि से दो माह की अवधि में राजकीय आवास रिक्त कराने की शर्त पर जारी की जाती है।

निस्तर-2

J. D. Sharma

M
10/11/20

सेना

13.1.2020

4108
13.1.2020

उक्त अधिकारियों के पेंशन परिलाभों के नियमानुसार भुगतान में विलम्ब की स्थिति के लिए विभागाध्यक्ष उत्तरदायी होगा।



राज्यपाल की आज्ञा से,

(बाबूलाल गोयल)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, राज्यमंत्री, उच्च शिक्षा विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग।
4. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. संबंधित महाविद्यालय/अधिकारी द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

(राजेश कुमार शर्मा)
सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:-एफ-1()प्रशा0/सेवानिवृत्ति-2020/आकाशि/2020/6393

दिनांक :- 13.1.2020

पृष्ठांकित प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. सम्बन्धित प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय।
5. सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी, राजकीय महाविद्यालय।
6. रक्षित पत्रावली।
7. बेबुझानी, अपलोड हेतु

(डॉ० के०एल० सिराधना)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
कॉलेज शिक्षा, राज०, जयपुर।